

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आपराधिक प्रक.क्र. :- 258/2003)
(संस्थित दिनांक :- 26/02/2001)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. विशम्भर सिंह पुत्र नेकराम, उम्र 37 वर्ष।

02. विनोद सिंह पुत्र कंचन सिंह, उम्र 38 वर्ष।

निवासी :- ग्राम बदन की खोड़, थाना-नगरा, जिला-मुरैना, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 11/12/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण विशम्भर एवं विनोद पर भा.द.सं. की धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 27/11/2000 को रात्रि लगभग 03:30 बजे फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर में उसके मालिक के बिना अनुमति के सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए 06 एल्यूमीनियम कोन अथवा कोर हॉल्डर बजन लगभग 30 किलोग्राम कीमत लगभग 6,000/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

02. प्रकरण में आरोपी राजेश कुमार पुत्र लीलाधर पूर्व से फरार है, जिसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 27/11/2000 की रात्रि लगभग 03:30 बजे फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर के मेंटीनेंस विभाग से आरोपीगण द्वारा 06 एल्यूमीनियम कोन बजन लगभग 30 किलोग्राम कीमत लगभग 6,000 रुपये चोरी कर लिये जाने की मौखिक रिपोर्ट फैक्ट्री गार्ड रामरतन के बताये अनुसार फैक्ट्री के सिक्योरिटी सुपरवाइजर ठाकुर सिंह नेगी द्वारा दिनांक : 27/11/2000 को शाम लगभग 06:40 बजे थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध नामजद लेखबद्ध कराये जाने पर, आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/2006 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल

का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक : 28/11/2000 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया गया और उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपीगण से चोरी गये एल्युमीनियम कोर हॉल्डर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वस्तुओं की पहचान कार्यवाही कराई गई। विवेचना के दौरान फरियादी ठाकुर सिंह नेगी, साक्षीगण ए.के.कुलश्रेष्ठ, कर्नल बी.के.सिंह एवं रामरतन के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण विशम्भर एवं विनोद के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण विशम्भर एवं विनोद ने दिनांक :- 27/11/2000 को रात्रि लगभग 03:30 बजे फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर में उसके मालिक के बिना अनुमति के सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए 06 एल्युमीनियम कोन बजन लगभग 30 किलोग्राम कीमत लगभग 6,000/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु कमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी ठाकुर सिंह नेगी अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को नाम से नहीं जानता था एवं वह आरोपीगण को शक्ल से भी नहीं जानता। साक्षी आगे कहता है कि उसे आज स्पष्ट याद नहीं है कि क्या चोरी हो गया था, वह तो ड्यूटी पर जरूर रहा था। उसके अधिकारी द्वारा कहा गया था कि घटना के संबंध में लिखकर दे दो, तो लिखकर दिया था। साक्षी आगे कहता है कि उसे नहीं पता कि आगे क्या कार्यवाही हुई थी, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसी रिपोर्ट लिखाये जाने से इन्कार किया। मौका-नक्शा प्र.पी.02 पुलिस ने उसके सामने बनाया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर ठाकुर सिंह अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक : 27/11/2000 को उसे रामरतन ने यह बताया था कि केन्टीन एरिया में तीन लड़के दीवाल कूदकर कुछ सामान भरकर ले जाते देखे थे। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने उक्त सूचना सुरक्षा अधिकारी बी.के.सिंह को दी थी एवं सामान चैक किया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि जब उसने सामान चैक किया तब कथित रूप से चोरी गये एल्यूमीनियम कोन बोरी में नहीं रखे हुये थे। जिसका अर्थ है कि उक्त कथित रूप से आरोपीगण द्वारा चुराये गये एल्यूमीनियम कोन सामान चैक करने पर वहीं पर रखे हुये पाये गये थे। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके द्वारा पुलिस कथन प्र. पी.03 पुलिस को दिया गया था। साक्षी का यह कहना है कि पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने वाले साक्षी ठाकुर सिंह नेगी अ.सा.01 ने फ्लैक्स इंडस्ट्रीज में से क्या चोरी हो गया था और किसके द्वारा चोरी किया गया था, इस वावत् कोई तथ्य न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किये हैं। इस प्रकार इस वावत् उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। उल्लेखनीय यह भी है कि अभियोजन द्वारा साक्षी राजरतन के कथन विचारण के दौरान कई अवसर दिये जाने के बाद भी लेखबद्ध नहीं कराये हैं और उसे अदम् पता घोषित किया गया है।

09. साक्षी ए.के.कुलश्रेष्ठ अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वर्ष 2000 में फ्लैक्स कारखाने में प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक 26/11/2000 को फ्लैक्स फैक्ट्री में चोरी हो गई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसकी फैक्ट्री से कोडप्लक जो एल्यूमीनियम के बने होते हैं, जो कीमत 6-7 हजार रुपये की चोरी हो गये थे, जिसकी सूचना उसे सुरक्षा अधिकारी ने फोन पर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि फैक्ट्री में जो लड़के घुसे थे, उसमें एक लड़का विनोद था, अन्य लड़कों के नाम उसे मालूम नहीं हैं, ये लोग केन्टीन से सामान ले जा रहे थे, जो दीवाल फांदकर अन्दर आये थे, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड द्वारा देखा गया था, जिनका नाम उसे याद नहीं है। साक्षी आगे

कहता है कि चोरी रात में हुई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसने पुलिस कथन में 03-04 लोगों के नाम बताये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ए.के.कुलश्रेष्ठ अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपने पूर्व के पुलिस कथन में आरोपी विशम्भर तथा राजेश के नाम भी बताये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में ए.के.कुलश्रेष्ठ अ.सा.03 ने स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि उसने आरोपीगण में से किसी को भी फैक्ट्री में प्रवेश करते नहीं देखा और उसने सिक्योरिटी गार्ड के बताये अनुसार पुलिस को आरोपीगण के नाम बताये थे। साक्षी यह भी कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसे गार्ड रामरतन ने घटना की जानकारी दी हो, यदि उसके पुलिस कथन में गार्ड रामरतन द्वारा जानकारी देने वाली बात लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि ए.के.कुलश्रेष्ठ अ.सा.03 के पुलिस कथन में रामरतन गार्ड द्वारा चोरी रात साढ़े तीन बजे होने की बात ए.के.कुलश्रेष्ठ को बताये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार इस वावत् ए.के.कुलश्रेष्ठ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है। ए.के.कुलश्रेष्ठ अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर मात्र अनुश्रुत साक्षी है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र सिंह कुशवाह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 27/11/2000 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी ठाकुर सिंह नेगी द्वारा आरोपीगण राजेश, विशम्भर एवं विनोद के विरुद्ध फ्लैक्स इंडस्ट्रीज मालनपुर में दिनांक : 27/11/2003 की रात्रि लगभग 03:30 बजे फैक्ट्री में घुसकर चोरी करने के संबंध में रिपोर्ट लिखाये जाने पर उसके द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/2000 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् प्रकरण की विवेचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक : 28/11/2000 को फरियादी ठाकुर सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को ही फरियादी ठाकुर सिंह नेगी, साक्षीगण ए.के.कुलश्रेष्ठ, कर्नल बी.के.सिंह एवं रामरतन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेश, विनोद एवं विशम्भर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.11 लगायत प्र.पी.13 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 29/11/2000 को साक्षीगण राजकुमार एवं हरेन्द्र के समक्ष आरोपीगण राजेश, विनोद एवं विशम्भर के कथन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम क्रमशः प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 लेखबद्ध किये थे, जिनके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मैमोरेण्डम में आरोपीगण ने बताया था कि

“दिनांक : 26/11/2000 को रात्रि लगभग 03:30 बजे मैटीनेंस डिपार्टमेंट फ्लैक्स फैक्ट्री में रखे एल्यूमीनियम के पार्ट्स 06 नग सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी किये थे, जिनमें बंटवारे में हम आरोपीगण को 02-02 नग प्राप्त हुये थे, जो कि रामविलास के मकान में हम लोगों ने छिपाकर रख दिये है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ।” तत्पश्चात् उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपीगण विनोद, विशम्भर एवं राजेश के आधिपत्य से पेश करने पर रामविलास के मकान से उक्त आरोपीगण के कमरे से तीनों आरोपीगण के आधिपत्य से 02-02 कोर एल्यूमीनियम हॉल्डर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 लगायत प्र.पी. 09 बनाये थे, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने जब्तशुदा एल्यूमीनियम कोर होल्डर के बजन, रंग-रूप एवं लम्बाई-चौड़ाई का कोई उल्लेख जब्ती पत्रकों में नहीं किया है। साक्षी का आगे कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उक्त कोर हॉल्डर बाजार से आसानी से क्रय किये जा सकते है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि जिस कमरे से उसके द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई, उसमें तीनों आरोपीगण एक साथ रहते थे, लेकिन उसके द्वारा विवेचना के दौरान उक्त कमरे एवं मकान के मालिक रामविलास एवं आस-पास के लोगों के कोई कथन प्रकरण में लेखबद्ध नहीं किये गये है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी विनोद एवं विशम्भर से जो जब्ती की कार्यवाही की गई है, वह किसी रामविलास के मकान के कमरे से की गई है, परन्तु जब्ती पत्रक प्र.पी.07 एवं प्र.पी.09 में उक्त भवन स्वामी रामविलास को जब्ती का साक्षी नहीं बनाया गया है, जबकि रामविलास उक्त जब्ती का एक उत्तम साक्षी हो सकता था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में ही विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि जिस कमरे से वह जब्ती की कार्यवाही करना बता रहा है, उस कमरे का दरवाजा आरोपी विशम्भर ने खोला था, उक्त दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी विशम्भर के पास थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी विशम्भर को गिरफ्तार करते समय उसकी तलाशी के दौरान उसके पास कोई चाबी होना नहीं पाया था। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने आरोपी विशम्भर को गिरफ्तार करते समय उससे प्राप्त एक चाबी को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन विशम्भर से चाबी लेने के उक्त तथ्य का उल्लेख उसने आरोपी विशम्भर के गिरफ्तारी पत्रक में नहीं किया है, क्यों नहीं किया इसका कोई कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि विवेचक सुरेन्द्र द्वारा आरोपी विशम्भर को जब्ती के एक दिन पूर्व दिनांक : 28/11/2000 को शाम 05:40 बजे गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.13 के माध्यम से रामविलास के मकान के पास से गिरफ्तार किया जाना दर्शित किया है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.13 में गिरफ्तारी के समय आरोपी विशम्भर पर कोई चाबी होने या सुरेन्द्र अ.सा.06 द्वारा उससे कोई चाबी प्राप्त

करने के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे गिरफ्तारी के समय आरोपी विशम्भर से कमरे की चाबी प्राप्त करने संबंधी विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि जब दिनांक : 28/11/2000 को शाम 05:40 बजे रामविलास के मकान के पास से ही आरोपी विशम्भर को गिरफ्तार कर उसके कमरे की चाबी विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, तब उसी समय सुरेन्द्र अ.सा.06 द्वारा विशम्भर के रामविलास के मकान में स्थित कमरे की तलाशी क्यों नहीं ली गई, यह तथ्य सुरेन्द्र अ.सा.06 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी विशम्भर द्वारा उक्त कमरे का दरवाजा खोले जाने पर जब्तशुदा एल्यूमीनियम कोर हॉल्डर खुली हुई अलमारियों में पृथक-पृथक रखे हुये थे। लेकिन सुरेन्द्र अ.सा.06 ने यह दर्शित नहीं किया कि उक्त कमरे की चाबी जब आरोपी विनोद के पास ना होकर मात्र आरोपी विशम्भर के पास थी, तो उसने आरोपी विनोद का आधिपत्य उक्त कोर हॉल्डर पर किस प्रकार पाया था। दिनांक : 28/11/2011 की शाम 05:40 बजे आरोपी विशम्भर को गिरफ्तार किये जाने के समय से कथित रूप से विशम्भर से प्राप्त कमरे की चाबी विवेचक सुरेन्द्र अ.सा.06 पर होना और उसके द्वारा लगभग 16 घण्टे पश्चात् अगले दिन सुबह लगभग 10:00 बजे उक्त कमरे से चुराई हुई वस्तुएं जब्त करने का तथ्य अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

14. आरोपीगण की गिरफ्तारी, मैमोरेण्डम अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम एवं जब्ती पत्रकों को साक्षी राजकुमार अ.सा.02, हरेन्द्र अ.सा.04 एवं चेताराम अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके समक्ष पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने, उनसे पूछताछ किये जाने एवं पूछताछ में दर्शित तथ्यों के अनुशरण में आरोपीगण के आधिपत्य से चोरी गई वस्तुएं जब्त किये जाने के तथ्य से इन्कार किया है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण विशम्भर एवं विनोद ने दिनांक :- 27/11/2000 को रात्रि लगभग 03:30 बजे फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज मालनपुर में उसके मालिक के बिना अनुमति के सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए 06 एल्यूमीनियम कोन अथवा कोर हॉल्डर बजन लगभग 30 किलोग्राम कीमत लगभग 6,000/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण विशम्भर एवं विनोद के विरुद्ध धारा 457 एवं

380 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

17. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में अभी आरोपी राजेश कुमार पुत्र लीलाधर के संबंध में विचारण एवं निर्णय अभी शेष हैं, इसलिए प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद